

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 40 सन 2021

अनवांन :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :-04.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 317/319 के खसरा न0 194/1 की 4.8180हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हनुमान पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो एवं मजमे आम में प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में जानकारी लने पर प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है मजमे आम की जानकारी एवं साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

मजमे आम में प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में जानकारी लने पर प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 317/319 के खसरा न0 194/1 की 4.8180हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य समूहों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 317/319 के खसरा न० 194/1 की 4.8180 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र रामचन्द्र दर्ज के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमनिगढी)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट दलपतपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/80 | दिनांक :- 6/12/21
तहसीलदार राजस्व नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 40/2021 अनवानी हनुमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 317/319 के खसरा न0 194/1 की 4.8180 हैक्ठूम भूमि में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र रामचन्द्र दर्ज के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र रामचन्द्र संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट दलपतपुरा